



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042026-271925
CG-DL-E-20042026-271925

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1883]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1883]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2026

का.आ. 1954(अ).— केन्द्र सरकार, वास्तुकला परिषद नियमावली, 1973 यथा संसोधित 2009 के नियम 23 और 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद्वारा वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत निर्वाचित करने हेतु वास्तुकला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों में रिक्तियों को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 4-15/2022-टीएस-VI]

गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2026

S.O. 1954(E).— In exercise of power conferred by rules 23 and 24 of the Council of Architecture Rules, 1973 as amended in 2009, the Central Government hereby notifies the vacancies in the offices of the President and the Vice-President of the Council of Architecture to be elected under sub-section (1) of section 4 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972).

[F. No. 4-15/2022-TS.VI]
GOVIND JAISWAL, Jt. Secy.